न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी— संजू पारीक आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या—13 / 2026

1. लिछमण पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन दनियासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।
2. ममता पत्नि लिछमण जाति जाट साकिन दनियासर तहसील पल्लू।
3. रमन पुत्र महावीर जाति जाट साकिन दनियासर तहसील पल्लू।

— निगरानी कर्ता

1. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दनियासर तहसील पल्लू तहसील रावतसर।
2. सरंपच ग्राम पंचायत दनियासर तहसील पल्लू।
3. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति रावतसर।
4. बृजलाल पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी बन्नासर तहसील पल्लू।

—अप्रार्थीगण

उपस्थितः— श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण।

श्री रोहिताश सिहाग अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या—03

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या—4

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)
सत्यमेव जयते

निर्णय दिनांकः— 13/5/2026

प्रार्थीगण लिछमण पुत्र मनफुल, ममता पत्नि लिछमण, रमन पुत्र महावीर निवासी दनियासर अनवानी बृजलाल आदि बनाम ग्राम विकास अधिकारी आदि अपील संख्या 17 / 2025 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2025 को अपास्त करने निगरानी पेश की गई जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. अप्रार्थी सं. 1 बृजलाल ने मातहत दआलत पंचायत समिति रावतसर में इस आशय की अपील पेश की गयी थी अपीलान्ट क[illegible]नासार की आबादी भूमि में में 18624 वर्गफुट का पुराना [illegible] जिसका पट्टा दिनांक 07.01.1987 को उसके व उसके भाई पतराम [illegible]नाम से जारी शुदा है[illegible] भाई ने अपना हिस्सा त्याग कर दिया था अपीलान्ट ही अकेला मालिक है। लिछमण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:48:14 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अपीलान्ट के दक्षिणी हिस्सा को शामिल कर फर्जी व कूटरचित पट्टे सं. 11, 21. 25 दिनाक 20.02.2024 को बना दिये जो विधि विरूद्व व शुन्य दस्तावेज है। यह खारिज किये जाये। पेश होने पर प्रार्थी को नोटिस जारी किये जिसमे प्रार्थना पत्र देकर कुछ कि किस प्रकरण में नोटिस दिया है। जवाब व एतराज पेश करने क बावजुद भी निगरानीकृत आदेश दिनाक 08.12.2025 को पारित किया जो निम्न आधारों पर अपास्त योग्य है–

1. मातहत अदालत का आदेश मन माना स्वेच्छारिता पूर्ण व बिना निर्णय पटटो को देखे ही निगरानीकृत आदेश पारित किया है जो न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्व है। तथा न्यायिक निर्णय की परिभाषा में नही आता है, जो अपास्त योग्य है।

2. विधि अनुसार प्रत्येक निर्णय की अपील अलग–अलग होती है सामूहित नही हो सकती है तथा अपील के साथ अपीलकृत आदेश निर्णय अथवा पट्टे की नकल होना आवश्यक है, जिस पर कोई आदेश पारित हो सके। अपील के साथ कोई नकल निर्णय पटटा आदि पेक नही किये गये। ऐसी दशा में कोई निर्णय कयास के आधार पर पारित नही किये जा सकते है, इसी आधार पर निगरानी कृत आदेश अपास्त योग्य है।

3. मातहत अदालत ने बिना दस्तावेज की जाँच किये ही निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्व है।

4. निगरानीकृत आदेश दिनांक 08.12.2025 को पारित किया है, इसी दिन एक अन्य अपील संख्या 15/2025 ओमप्रकाश बनाया ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बनाक आदि ने इन्हीं पट्टों पर पारित किया है, जिसमें जमाबन्दीयां की नकल लगवाकर कृषि भूमि साबित किया है तथा कब्जा अन्य लोगों का माना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अलग–अलग व्यक्तियों का कब्जा माना है ऐसा करना विधि विरूद्व है तथा निर्णय शंका पैदा करने वाला है तथा मातहत अदालत की मंशा जाहिर करता है इसलिए निगरानीकृत आदेश अपास्त योग्य है।

5. प्रार्थीगण के पट्टे विधि अनुसार किमतन बने हुए है जिनका रजिस्ट्रेशन भी उप पंजीयन कार्यालय पल्लू से किया हुआ है। तस्दीक शुदा दस्तावेज खारिज करने के अधिकार पचांयत समिति को नही है [illegible] स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:48:14 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रार्थीगण के अड़ौसी पड़ौसी [illegible] है, उनके आसा पासा में भी प्रार्थीगण का नाम दर्ज है। इस बिन्दु पर मातहत अदालत ने कोई ध्यान नही दिया निगरानीकृत आदेश अपास्त योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

7. मातहत अदाल ने दो अपीलों में इन्ही पट्टो के सम्बध मे अलग अलग मत एक दिनांक में दिये है जिससे मातहत अदालत की मंशा जाहिर होती है कि उन्हें प्रार्थीगण का अपूर्णीय क्षति पंहुचने वाला निर्णय पारित करना था, जो राजनैतिक व व्यक्तिगत रंजिश से पारित निर्णय है।

8. निगरानी अन्दर मियाद है क्योंकि पंचायत एक्ट निगरानी की समय की सीमा तय नही थी है किन्तुम निगरानीकृत निर्णय ज्ञान दिनांक 15.02.2026 को अप्रार्थी सं. 4 द्वारा व अन्य लोगो के द्वारा धमकी दी कि कब्जा से बेदखल करेगे पटटा खारीज करवा दिया है इस पर दिनांक 16.02.2026 को नकल प्राप्त कर निगरानी पेश कर रहा है। फिर भी निगरानी की कोई सीमा समय पश्चात एक्ट दर्ज नही है इसलिए अन्दर मियाद है।

अतः निगरानी आवेदक स्वीकार की जाकर मातहत अदालत पंचायत समिति रावतसर से अनवानी अपील बृजलाल बनाम ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दनियासर अपील सं. 17/2025 तलब फरमायी जाकर निर्णय दिनांक 08.12.2025 निरस्त किया जावे।

निगरानी पेश होनें पर दर्ज होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से श्री रोहिताश सिहाग एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या–1, 2 बाद तामिल उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी संख्या–4 की ओर से श्री मांगेराम गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय से निगरानीधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पट्टे की नकल के बिना ही अधीनस्थ पंचायत समिति, रावतसर में अपील पेश की गई एंव दोनों पत्रावलीयों के निर्णय किया गया। बिना पट्टा प्रस्तुत किये अपील योग्य थी। एक पत्रावली में विवादित भूखण्ड को कृषि भूमि बताया गया है जबकि दुसरी पत्रावली में भूखण्ड पर कब्जा माना गया हैं। एक भूखण्ड एक ही है लेकिन दोनों पत्रावलीयों कें आधार अलग–अलग है। दोनों पत्रावलीयों एक ही पट्टे का अलग–अलग निर्णय अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति रावतसर द्वारा पारित किया गया है। एक अपील केव[illegible]है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण के [illegible] एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:48:14 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि लिछमण की माता रामी पत्नी मनफुल वर्तमान में सरपंच है। इसी का फायदा उठाकार प्रार्थी द्वारा अपने, ममता एंव रमन के नाम से तीन पट्टे बना लिये। विवादित पट्टे का भूखण्ड काफी पुराना है। प्रकरण संख्या 17/2025 वर्णित ग्राम पंचायत दनियासर द्वारा जारी पट्टा संख्या 11, 21 25 दिनांक 20.02.2024 के भूखण्ड का दिनांक 17.06.1986 को बृजलाल के नाम पट्टा जारी किया हुआ है। प्रकरण संख्या 15/2025 में वर्णित विवादित भूखण्ड औमप्रकाश रामकुमार, विनोद कुमार का सुल्तानराम से खरीदशुदा है। समस्त भूखण्ड को मिलाकर प्रार्थी द्वारा अपने, ममता, रमन के नाम से तीन पट्टे तीनो वारिसों के नाम राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 157(1) तहत जारी करवा लिये लेकिन प्रार्थीगण को उक्त पट्टे के भूखण्ड पर कब्जा नहीं है। गांव के एक 80 वर्ष के बुजुर्ग मिस्त्री द्वारा अपने बयान मे बताया कि उसके द्वारा मकान बनाया है। निगरानी प्रकरण संख्या 14/2026 में वर्णित भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 6, 7 का कब्जाशुदा भूखण्ड है एंव निगरानी संख्या 13/2026 में वर्णित भूखण्ड पर बृजलाल का कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये लेकिन प्रार्थीगण बाद तामिल हाजीर नहीं हुए। सरपंच द्वारा अपीलधीन पट्टों का रिकार्ड देनें से इन्कार कर दिया गया। प्रार्थीगण दनियासर गांव के निवासी है जबकि पट्टे बन्नासर गांव के भूखण्ड के है। ग्राम पंचायत दनियासर द्वारा पट्टे पर पट्टा जारी किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2025 सही है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया एंव न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति रावतसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2025 में अंकित किया है कि" *भूखण्ड अपीलांट का पट्टाशुदा व अपीलांट के पुराने वैध कब्जा में होना साबित है।*" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज पट्टो के भूखण्ड का दिनांक 17.06.1986 को बृजलाल के नाम से ग्राम पंचायत पल्लू द्वारा पट्टा जारी किया हुआ है।

अतः न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.12.2025 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एंव अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.12.2025 को यथावत रखते हुए प्रार्थी की निगरानी खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:48:14 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13/5/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:48:14 IST
Reason: SelfAttested